



## सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम नजी जानकारी

### प्रीलमिस के लिये:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, COVID-19, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005,

### मेन्स के लिये:

COVID-19 के संदर्भों की नजी जानकारी से संबंधित मुद्रे

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के संदर्भों की नजी जानकारी न केवल सोशल मीडिया पर पाई गई बल्कि कुछ राज्य सरकारों ने भी आधिकारिक रूप से डेटा का खुलासा किया है।

### प्रमुख बांदिः

- COVID-19 के संदर्भों की नजी जानकारी का खुलासा करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य, डॉक्टर-मरीज की गोपनीयता और नजिता के अधिकार का हनन हो सकता है।
- कसी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या कानून की अनुपस्थिति के कारण राज्य सरकारें COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से नपिटने हेतु अलग-अलग उपाय अपना रही हैं।
- कुछ राज्य नागरिकों को बेहतर जानकारी देने हेतु सार्वजनिक रूप से नजी जानकारी का खुलासा कर रहे हैं, वही अन्य राज्य गोपनीयता का सम्मान करते हुए ऐसा करने से बच रहे हैं।
- करनाटक सरकार ने ऐसे लोगों की एक ज़ालिवार सूची प्रकाशित की है जिनको एकांत में रखा गया है। स्वास्थ्य और परवार नियोजन विभाग की वेबसाइट पर एकांत में रखे गए लोगों का यातरा विवरण और घर का पता मौजूद है।
- दलिली, गुजरात और करनाटक सहित कई अन्य राज्यों ने स्थानीय अधिकारियों को निरिदेश दिया है कि उन घरों के बाहर नोटसि चस्पा करे जहाँ व्यक्तियों को एकांत में रखा गया है।
- हालाँकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यक्तियों या अस्पतालों की पहचान का खुलासा नहीं किया है।

### कानूनी पराप्रिक्षयः

- चकितिसा आचार संहिता के तहत, भारतीय चकितिसा प्रबंध द्वारा नियम के अनुसार, उपचार के दौरान कसी विशेष प्रसिद्धियों रोगी से संबंधित जानकारी का खुलासा कर सकते हैं।
- नगिरानी के लिये स्वास्थ्य दशा-नियोजनों के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme) के तहत राज्य/ज़िला स्तर की नगिरानी इकाइयों या कसी अन्य प्राधिकरण के साथ लोगों की नजी जानकारी साझा कर सकते हैं लेकिन इन दशा-नियोजनों में रोगी के विवरण को सार्वजनिक रूप से साझा करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- महामारी अधिनियम, 1897 (Epidemic Act, 1897) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत कसी विकिट समस्या से नपिटने हेतु लोगों की भलाई के लिये की गयी कार्रवाई को कानूनी शक्ति प्रदत्त है लेकिन लोगों की नजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने का कोई कानून नहीं है।

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

#### (National Disaster Management Authority):

- यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च नियम है, जिसका गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दशा-नियोजनों का नियमांश करने के लिये ज़ामिमेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त समय पर एवं

- प्रभावी प्रतक्रिया सुनिश्चित करता है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।

## समस्या:

- सोशल मीडिया पर या लोगों के घर की दीवार पर उनके नाम और पता के साथ नोटसि चस्पा कर देने से परवारों को शारीरिक या भावनात्मक संकट का खतरा हो सकता है।
- नोटसि लगाने से आपातकाल में लोगों में ज्यादा दहशत भी पैदा हो सकती है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/public-health-vs-private-information>